

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्था.1/बी/राज/271/08-09/431

भोपाल, दिनांक 02-03-09

// संशोधन आदेश //

प्राचार्य हाईस्कूल संवर्ग से प्राचार्य उमावि पद पर पदोन्नत प्राचार्यों को संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था.1/बी/राज/271/08/1313 दिनांक 27.9.2008 एवं क्रमांक स्था.1/राज/बी/271/08/1419-20 दिनांक 20.10.08 द्वारा दिनांक 31.12.2008 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा में आंशिक संशोधन कर दिनांक 30.6.2009 तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2/ शेष शर्तें यथावत रहेगी।



(बी.आर.नायडू)

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 02-03-09

पृष्ठा. क्रमांक/स्था.1/बी/राज/271/08-09/432
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
6. समस्त रायुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
9. संबंधित प्राचार्य श्री/श्रीमती/कुमारी.....।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश


लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.1/बी/राज/268/08-09/433 भोपाल,दिनांक 02-03-09

// संशोधन आदेश //

व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल पद पर पदोन्नत प्राचार्यों को संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक स्था.1/बी/राज/268/08/1317, क्रमांक/1341 दिनांक 27.9.2008 एवं क्रमांक स्था.1/बी/राज/268/08/1421-1422 दिनांक 20.10.08 द्वारा 31.12.2008 तक कार्यभार ग्रहण करने निर्धारित समय-सीमा में आंशिक संशोधन कर दिनांक 30.6.2009 तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


2/ शेष शर्तें यथावत रहेगी।


(बी.आर.मायजू)

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र. क्रमांक/स्था.1/बी/राज/268/08-09/434 भोपाल,दिनांक 02-03-09
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान.मंत्री स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. समस्त कलेक्टर म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र.।
6. समस्त संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
8. समस्त कोषालय अधिकारी म.प्र.।
9. संबंधित प्राचार्य श्री/श्रीमती/कुमारी.....।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश